

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(216/94)/अलेसे -III/ 10377-91

दिनांक :- 21/08/2015

आदेश संख्या 91 /2015-16

श्री चन्द्रकांत गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोष, किशनगंज, बांरा को माननीय सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा ने फौजदारी प्रकरण संख्या 18/2001 राजस्थान राज्य बनाम श्री चन्द्रकांत गुप्ता में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2011 द्वारा धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आपराधिक आरोप पर दोषसिद्ध ठहराया गया है। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सपठित धारा 120बी भा.द.स. में एक वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दो वर्ष के कठोर कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री चन्द्रकांत गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण उसे दोषसिद्ध ठहराया गया है, ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री चन्द्रकांत गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से पदच्युत करते हैं/सेवा से हटाते हैं।

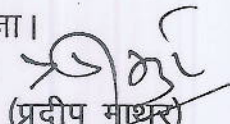

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)/(216/94)/अलेसे -III/ 10377-91

दिनांक :- 21/8/2015

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ.नि. ब्यूरो/विधि/7/2015/1335 दिनांक 26.05.2015 के क्रम में।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.आई.यू.), जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, बांरा। (रजिस्टर्ड)
8. उपकोषाधिकारी किशनगंज (बांरा) (रजिस्टर्ड)।
9. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/डीपीसी शाखा)।
10. संयुक्त निदेशक (विधि),।
11. श्री चन्द्रकांत गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार उपकोषालय किशनगंज (बांरा)।
12. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
13. निजी सहायक निदेशक महोदय।
14. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
15. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय हाजा।
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)